UPST010051262026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थितः सुनील कुमार–IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)

न्यायिक अधिकारी कोड सं0 यू0पी0 1885

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1611/2026

समीर आयु करीब 19 वर्ष पुत्र इदरीश निवासी उधूमपुर सल्लिहा पोस्ट कंचनपुर थाना फरधान जिला लखीमपुर खीरी उ0प्र0

.....प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या–104/2026,
धारा–109 भारतीय न्याय संहिता
थाना–दोस्तपुर, जनपद–सुलतानपुर

दिनांक 10.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त समीर की ओर से थाना दोस्तपुर, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–104/2026 अन्तर्गत धारा–109 भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार सी0आई0एस0 पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में किसी अभियुक्त का कोई भी अग्रिम/नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित होना नहीं पाया गया है।

सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि वादिनी मुकदमा लक्ष्मी देवी द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 01.05.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दि0 18.05.2026 को समय करीब 10 बजे रात को वादिनी के पति जयकिशन व आमिर पुत्र इदरीश निवासी ग्राम सलिहा कंचनपुर थाना फरधान जनपद लखीमपुर खीरी के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें वादिनी के पति को

आमिर व समीर ने मिलकर मारा पीटा और आमिर ने वादिनी के पति को फावड़ा से मार दिया, जिससे उसके पति घायल होकर बेहोश हो गये। वादिनी अपने पति को उठाकर सी0एच0सी0 दोस्तपुर ले गयी थी। अधिक चोट होने के कारण सी0एच0सी0 दोस्तपुर से वादिनी के पति को पी0जी0आई0 टाण्डा अम्बेडकर नगर रेफर कर दिया गया था। तब से वादिनी अपने पति का पी0जी0आई0 टाण्डा में इलाज करा रही है।

यह प्राथमिकी अभियुक्तगण आमिर व समीर (प्रार्थी/अभियुक्त) के विरूद्ध पंजीकृत की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि प्रार्थी का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। प्राथमिकी विलम्ब से कानूनी राय मशविरे के बाद दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त भट्ठे पर ईंट पाथने का कार्य करता है तथा किसी तरह से अपना व परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी द्वारा न तो किसी को मारा पीटा गया और न ही गाली गलौज दिया गया। महज धन उगाही की गरज से उक्त मुकदमे में फंसाया गया है। घटना का कोई हेतुक नहीं दर्शाया गया है। वादिनी स्वयं चश्मदीद साक्षी नहीं है। कथित घ ाटना रात्रि की बतायी गयी है जबकि प्राथमिकी में किसी प्रकाश के स्रोत का उल्लेख नहीं है। चिकित्सीय साक्ष्य मौखिक साक्ष्य से भिन्न है। प्राथमिकी में किसी स्वतंत्र साक्षी का उल्लेख नहीं किया गया है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से वादिनी मुकदमा के पति जयकिशन को फावड़े से मारकर गम्भीर चोटें कारित की गयीं। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

निम्नांकित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि–

1. प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. घटना दि0 18.05.2026 की 22:00 बजे की बतायी जाती है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दि0 20.05.2026 को 23:02 बजे दर्ज करायी गयी है अर्थात् घटना घटित होने के 48 घण्टे बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

3. घटना के 48 घण्टे बाद दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी लक्ष्मी देवी ने यह कथन किया है कि दि0 18.05.2026 को समय करीब 10

बजे रात को उसके पति जयकिशन व आमिर पुत्र इदरीश निवासी ग्राम सलिहा कंचनपुर थाना फरधान जनपद लखीमपुर खीरी के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें उसके पति को आमिर पुत्र इदरीश व समीर पुत्र इदरीश ने मिलकर मारा पीटा और आमिर ने उसके पति को फावड़ा से मार दिया, जिससे उसके पति घायल होकर बेहोश हो गये। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के सम्बन्ध में किये गये उपर्युक्त उल्लेख से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि वादिनी ने विशिष्ट रूप से सहअभियुक्त आमिर पर अपने पति को फावड़े से मारने का आक्षेप लगाया है।

4. केस डायरी के पर्चा नं0–2 में वादिनी लक्ष्मी देवी का बयान अंतर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 अंकित किया गया है, जिसमें वादिनी द्वारा पहली बार यह कथन किया गया है कि आमिर और समीर दोनो ने उसके पति को फावड़े से जान से मारने की नीयत से 3–4 बार हमला कर दिया, जिससे उसके पति के सिर में गम्भीर चोटें आयीं।

5. मजरूब जयकिशन चौहान, जिसका बयान केस डायरी के पर्चा नं0–2 में अंकित है, ने अपने बयान अंतर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में यह कथन किया है कि इसी दौरान आमिर व समीर ने जान से मारने की नीयत से एक फावड़े से बारी–बारी मेरे सिर पर हमला कर दिया, जिससे मेरे सिर पर गम्भीर चोट आयी है। मजरूब के बयान से यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा घटना में केवल एक फावड़े के प्रयोग का उल्लेख किया गया है।

6. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में विशिष्ट रूप से केवल सहअभियुक्त आमिर पर फावड़े से प्रहार करने का आक्षेप है, वहीं विवेचना के दौरान वादिनी एवं वादिनी के पति/मजरूब द्वारा यह कहना कि एक ही फावड़े से बारी–बारी से दो अभियुक्तगण ने मजरूब पर प्रहार किया था, असामान्य प्रतीत होती है।

7. आघात आख्या के अनुसार चोटहिल जयकिशन के शरीर पर कुल मिलाकर 04 चोटें आयी हैं, जिसमें से चोट सं0 1 सिर पर फटे हुए घाव की चोट के रूप में, चोट सं0 2 सिर के ऑक्सीपिटल क्षेत्र में फटे हुए घाव के रूप में, चोट सं0 3 दाहिने हाथ में फटे हुए घाव के रूप में तथा चोट सं0 4 दाहिनी अग्रभुजा में फटे हुए घाव के रूप में है।

8. एम0आर0ए0 मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, अम्बेडकरनगर की डिस्चार्ज स्लिप के अनुसार चोटहिल जयकिशन दि0 19.05.2026 से दि0 26.05.2026 तक उक्त अस्पताल में भर्ती रहा है, जिसमें चोटहिल के सिर व कन्धे पर चोटें होने का उल्लेख करने के साथ–साथ चोटहिल के एल्कोहल के प्रभाव में होने का भी उल्लेख किया गया है।

9. पत्रावली पर कोई ऐसा चिकित्सीय प्रपत्र उपलब्ध नहीं है, जिससे यह

स्पष्ट हो सके कि चोटहिल के शरीर के किसी मर्म–स्थल पर कोई प्राणघातक चोट अथवा फ्रैक्चर पाया गया हो।

10. सम्बन्धित थाने से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार होना पाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त समीर की ओर से थाना दोस्तपुर, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–104/2026 अन्तर्गत धारा–109 भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा मु0 40,000/–रू0 (चालीस हजार रूपये) का स्वबंध पत्र व समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तों के अधीन, जमानत पर छोड़ दिया जावे :–

1– प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना व विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

3– प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

4– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

दिनांकः 10.06.2026

(सुनील कुमार–IV)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
J.O. Code : UP 1885

मधुलिका सिंह/–

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.06.10 15:46:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court